न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक— /2016 नि.गा – 2852- I - 16

मुलिया बाई पुत्री मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी धर्मपुरा तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

आवेदिका / निगराकार

बनाम

द्वारका प्रसाद तनय परमानंद मिश्रा निवासी धर्मपुरा तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्रति निगराकार

22.8.16

निगरानी अंतर्गत धारा— 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

निगरानी का कारण दिनांक — 27.07.2016

निगरानी प्रतिकूल आदेश दिनांक 27.07.2016 अधीनस्थ न्यायालय अपील प्रकरण कमांक — 123 / अपील / 2015—16 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ म.प्र.

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है :—

संक्षिप्त विवरण

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम धर्मपुरा खसरा नं. 1 / 2, 2, 6 / 1 कुलकिता 3 एकत्र रकवा 1.42 हेक्टेयर निगराकार के पिता के नाम की भूमि थी, जिनके फौत होने के उपरांत उक्त भूमि का नामांतरण निगराकार के नाम किया जा चुका है। उक्त भूमि निगराकार के पिता की स्वयं अर्जित भूमि थी।

2. यह कि उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार बड़ागांव के राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का नाम बगैर किसी कारण के हटा दिया गया है एवं उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर नाम एवं जाति का हेरफेर दिखाकर वास्तविक स्थिति को छिपाकर व नजरअंदाज कर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर निगराकार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2852-एक/2016 जिला टीकमगढ़ मुलियाबाई विरूद्ध द्वारकाप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 123/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य